आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

दैनिक भास्कर

कुल पृष्ठ 16+8= 24 | मूल्य ₹ 4.00 झारखंड मधुरिमा आज | वर्ष 8, अंक 64 | महानगर

धनबाद, बुधवार, 20 जून, 2018 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष-7, 2075

भास्कर खास

सीजीएसटी पर हुए सेमिनार में सेंट्रल एक्साइज/जीएसटी विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्त ने दिया समस्याओं के समाधान का भरोसा, कारोबारियों ने पूछा

अलग-अलग कीमत वाले एक ही प्रोडक्ट पर कैसे दें टैक्स

सिटी रिपोर्टर | धनबाद

सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) पर मंगलवार को अशोक नगर स्थित सेंट्रल एक्साइज/जीएसटी कार्यालय में सेमिनार हुआ। इसमें जिले के उद्योगपति, कारोबारी, कंपनी प्रतिनिधि आदि शामिल हुए। उन्होंने सीजीएसटी से जुड़ीं समस्याओं की चर्चा की। सेमिनार में मौजूद विभाग के मुख्य प्रधान आयुक्त शिव नारायण सिंह ने उनके सवालों के जवाब दिए। कुछ सवालों पर प्रधान मुख्य आयुक्त भी उलझे दिखाई पड़े। आश्वासन दिया कि ऐसी समस्याओं को जीएसटी सेंट्रल काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा और समाधान किया जाएगा। इससे पहले विभागीय आयुक्त पीबी मीणा ने नई कर प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कारोबारियों के सवाल और अधिकारियों के जवाब

▪ कंपोजिशन और रेगुलर डीलर, दोनों का जीएसटीएन एक तरह का है। रेगुलर डीलर से इनपुट प्राप्त किया जा सकता है, जबकि कंपोजिशन स्कीम में आने वाले डीलर के लिए यह जरूरी नहीं है। जीएसटीएन एक जैसा होने से असमंजस की स्थिति है? **सुरेंद्र अरोड़ा, अध्यक्ष, बैंक मोड़ चैंबर**

-दोनों तरह के डीलरों की पहचान आसानी से हो सके, इसके लिए जीएसटीएन में संशोधन का सुझाव काउंसिल को भेजा जाएगा। जीएसटीएन के आगे आर और सी अंकित किया जाएगा।

▪ जीएसटी का रेट अलग-अलग होना दिग्भ्रमित करता है। किसी एक ही उत्पाद की कीमत अलग-अलग है और इस पर देय टैक्स भी अलग-अलग तय है? **प्रमोद गोयल, कारोबारी**

-परेशानी तो है। इस समस्या का निपटारा होगा।

▪ कंपोजीशन स्कीम में आनेवाले कारोबारी टैक्सेबल और टैक्स फ्री, दोनों तरह के सामान की बिक्री करते हैं। लेकिन, रिटर्न भरते समय सिर्फ टर्नओवर का विकल्प मिलता है। टर्नओवर बताने पर उस पर टैक्स जमा कराना होगा। ऐसे में टर्नओवर के हिसाब से टैक्स जमा कराएं या सिर्फ टैक्सेबल आइटम का टैक्स ही हैं? **राजेश गुप्ता, अध्यक्ष, जिला चैंबर**

-यह परेशानी सॉफ्टवेयर के कारण है, इसमें सुधार का प्रयास किया जाएगा।

▪ एक दुकानदार की चार शाखाएं हैं, लेकिन जीएसटीएन एक ही है। नई टैक्स प्रणाली में धारक अपने अलावा एक अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है। अब जिनकी दो से अधिक शाखाएं हैं, क्या उन्हें मेमो पर हस्ताक्षर करने के लिए शाखाओं में घूमते रहना पड़ेगा। **दिनेश हेलीवाल, कारोबारी**

-इस समस्या को भी काउंसिल में रखा जाएगा।

बेवजह नोटिस, जानकारियां नहीं देने पर भी सवाल

डिटेल मिसमैच होने के कारण कारोबारियों को बेवजह नोटिस दिया जाना, कारोबारियों को फाइल की जानकारी उपलब्ध नहीं कराना आदि से संबंधित सवाल भी पूछे गए। मौके पर चैंबर के प्रभात सुरोलिया, संदीप मुखर्जी, मोटर डीलर्स एसोसिएशन के संजय लोधा, सीए कन्हैया अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, लोकेश अग्रवाल, बीसीसीएल के प्रतिनिधि, कई निजी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।